न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014 R-5155-III/15

राकेश कुमार दुबे पिता विजय शंकर दुबे, निवासीग–ग्राम जमुई, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.) ——आवेदक

बनाम

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, रीवा
2. मुस. रनिया बेवा पत्नि हरिशंकर दुबे
3. जयकुमार दुबे पिता विजयशंकर दुबे,
4. राजेन्द्र कुमार दुबे पिता विजय शंकर दुबे, निवासीगण–ग्राम जमुई, हसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.) ——अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 10-12-15 को प्रस्तुत

10/12/15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.45 P.M

152

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4144–तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–1–2015	आवेदक अभिभाशक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक कं 1 शासन की ओर से पैनल अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। दोनों अभिभाषकों को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 265/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28–10–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाशक ने तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जा दर्ज किये जाने बावत आवेदन दिया जिस पर तहसीलदार ने प्र0 कं0 27/अ–6अ/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 10–1–2000 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये दिनांक 30–9–2010 को बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी तहसीलदार के आदेश को	

उचित मानने में त्रुटि की है।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है जिसपर आवेदक का अवैद्य कब्जा था। तहसीलदार द्वारा संपूर्ण जांच उपरांत बेदखली के आदेश पारित किये हैं जिन्हें दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद भी आदेश दिनांक 21–12–13 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण स्वत्व से संबंधित है। स्वत्व के निर्धारण की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तत सिविल वाद भी आदेश दिनांक 21–12–13 के द्वारा खारिज हो चुका है। अनावेदक अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाते हुये निगरानी ग्राहयता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य